



**दिल्ली पुलिस**  
**शांति सेवा न्याय**  
**नागरिक घोषणा पत्र**

**उद्देश्य**

अपराध को रोकना और उसका पता लगाना;

सभी को न्याय दिलवाना;

कानून को निष्पक्ष और दृढ़ता से बनाए रखना;

लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना और उन्हें आश्वस्त करना, यह सब सत्यनिष्ठा के साथ करते हुए दिखाई पड़ना

समुदाय के साथ साझेदारी करके शांति बनाए रखना;

करुणा और धैर्य दिखाना।

भय, पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना कार्य करना।

परिवर्तन की इच्छा के साथ सुझावों को स्वीकार करना;  
हिंसा के समय पेशेवर, शांत और संयमित रहना;

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल आवश्यक बल प्रयोग करना।

**नागरिक घोषणा पत्र**

पुलिस, न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसी सेवाएं प्रदान करती है जो अन्य बातों के साथ-साथ अपराध की रोकथाम, जांच और समाज में कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। किसी भी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का शिकार होने की स्थिति में, जनता को पुलिस से शिकायत करने का अधिकार रीहै। जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस को याचिका भी प्रस्तुत कर सकती है।

पुलिस स्टेशन, पुलिस विभाग के अत्याधुनिक रूप में, ऊपर उल्लिखित सेवाओं के वितरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पास संबंधित कानून के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित एक परिभाषित क्षेत्राधिकार है। पुलिस स्टेशन विभिन्न कानूनों और समय-समय पर दिए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार जनता को सेवाएं प्रदान करता है।

पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण इस प्रकार है:

### 1. संज्ञेय अपराध

(ए) यदि शिकायत सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आती है, तो निर्धारित प्रारूप में मामला दर्ज किया जाएगा और प्राथमिकी की एक प्रति शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर पावती लेने के बाद उसे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। समय कारक के आधार पर प्राथमिकी उसी दिन या अगले दिन इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। अंतिम रिपोर्ट निस्तारण के लिए न्यायालय को भेजी जाएगी।

(बी) यदि शिकायत मोटर वाहन या संपत्ति की चोरी से संबंधित है, तो शिकायतकर्ता के पास दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> पर लॉग इन करके ई-एफआईआर दर्ज करने का विकल्प होगा।

(सी) शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की स्थिति और उसकी प्रगति के बारे में पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। जांच अधिकारी जांच की स्थिति के बारे में सूचित करेगा बशर्ते वह किसी अन्य जरूरी काम में व्यस्त नहीं हो।

### 2. गैर-संज्ञेय अपराध

(ए) यदि दर्ज की गई शिकायत सीआरपीसी की धारा 155 के अनुसार गैर-संज्ञेय अपराध के तहत आती है तो कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(बी) दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> पर लॉग इन करके खोई हुई वस्तुओं/दस्तावेजों/संपत्ति के लिए गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है।

### 3. याचिकाएं

(ए) याचिकाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा याचिका की प्रति पर उचित पावती के साथ याचिकाएं प्राप्त की जाएंगी। एसएचओ/आईओ मामले का पता लगाने और हल करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रति-याचिकाकर्ता दोनों से पूछताछ करेंगे। परिणाम के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

(बी) संबंधित व्यक्ति, जो याचिका का जवाब देने के लिए अधिकृत है, याचिकाकर्ता को अंतिम निपटान/उस पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

#### 4. शिकायत निवारण

ए. सभी पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं। अधिकारियों की एक विस्तृत सूची दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ताकि जनता उनके बारे में जान सके और आवश्यकता पड़ने पर सीधे उनसे संपर्क कर सके।

बी. जनता आवश्यकता महसूस होने पर पर्यवेक्षण अधिकारियों से मिल सकती है। जनता से मिलने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों की उपलब्धता का समय प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी के कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है।

सी. ऑनलाइन शिकायत निवारण विकल्प/प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> पर भी उपलब्ध है, जहां दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों के ईमेल पते और संपर्क नंबर उपलब्ध हैं।

डी. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस सतर्कता शाखा से [dcp-vigilance-dl@nic.in](mailto:dcp-vigilance-dl@nic.in) पर भी संपर्क किया जा सकता है।

#### 5. कमजोर वर्ग के लिए सेवाएं

ए. गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की खोज-

23241210 व 1094

दिल्ली पुलिस, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के अपने प्रयासों में, लापता व्यक्तियों और बच्चों को खोजने और उनका पता लगाने में विशेष ध्यान देती है।

बी. महिला सुरक्षा

1091 व 1096 (हेल्पलाइन)

[www.spuwac.in](http://www.spuwac.in)

दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुरक्षित बनाना है। शहर में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहर में विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई है। महिला स्टाफ के साथ सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क मौजूद हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठ सभी जिलों में कार्यरत हैं। केंद्रीय स्तर पर, महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) महिलाओं से संबंधित अपराधों से निपटती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम वेबसाइट [www.spuwac.in](http://www.spuwac.in) पर उपलब्ध हैं।

## सी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा-

20819034, 23746100/69975

([inpr-scscphq-dl@delhipolice.gov.in](mailto:inpr-scscphq-dl@delhipolice.gov.in))

हेल्पलाइन-

1291

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में काम कर रहे हैं। यह प्रकोष्ठ अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों से उनकी सुरक्षा के लिए टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करके उन्हें सहायता प्रदान करता है। दिल्ली पुलिस द्वारा, अकेले या पति या पत्नी के साथ रहने वाले और परिवार के साथ रहने वाले लेकिन दिन के समय अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। वे टेलीफोन नंबर 20819034, 23746100, एक्सटेंशन नंबर 69975 पर संपर्क करके भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। या वरिष्ठ नागरिक मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर 1291 के माध्यम से या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> के माध्यम से या अपने क्षेत्र के एसएचओ/एसीपी/डीसीपी कार्यालय के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं।

## डी. उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ -

1093

(हेल्पलाइन)

देश के उत्तर-पूर्वी भागों से आने वाले व्यक्तियों के पुलिस संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों से संकटकालीन कॉलों को सुनने/स्वीकार करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन (1093) भी उपलब्ध है।

## इ. विदेशी नागरिक प्रकोष्ठ -

8750871111

(हेल्पलाइन)

विदेशी नागरिकों से संबंधित मुद्दों जैसे उनकी सुरक्षा और सामान्य पुलिसिंग मुद्दों से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8750871111 जारी किया गया है और एक संयुक्त आयुक्त पुलिस रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

## एफ. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ -

23214672

अत्याचार से संबंधित शिकायतों/मामलों की प्रभावशीलता और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

## 6. हमारी विशेष सेवाएं:

### ए. वेरिफिकेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट-

विशेष शाखा, दिल्ली पुलिस (टेलीफोन नंबर 23236234 और 23236040) को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकारी संगठनों और निजी व्यक्तियों को विभिन्न सत्यापन सुविधाएं प्रदान

करने का काम सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस पासपोर्ट, उत्प्रवास, नौकरी और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए सत्यापन सेवाएं प्रदान करती है।

**बी. लाइसेंसिंग** - शस्त्र, भोजनालय, अखबारों और पत्रिकाओं आदि का सुचारू और समयबद्ध तरीके से प्रकाशन हेतु उन्हें विभिन्न लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक विशेष लाइसेंसिंग शाखा (टेलीफोन 26262260) है।

### **सी. यातायात प्रबंधन -**

दिल्ली पुलिस की यातायात इकाई, यातायात कानूनों के नियमन और प्रवर्तन के माध्यम से यातायात के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है। यातायात संबंधी किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए फोन नंबर 25844444 और 1095 पर ट्रैफिक हेल्पलाइन चौबीसों घंटे उपलब्ध है। यातायात संबंधी किसी शिकायत/सुझाव के लिए [jtcpt.dtp@nic.in](mailto:jtcpt.dtp@nic.in) पर ई-मेल किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज का उपयोग शिक्षा और यातायात की स्थिति और अभियोजन की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी के प्रसार के लिए भी किया जाता है। ट्रैफिक वेबसाइट <https://traffic.delhipolice.gov.in> पर ट्रैफिक संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

**डी. घरेलू सहायिका/नौकर सत्यापन** घरेलू सहायिका के रूप में रोजगार लेने वाले किसी भी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा किसी भी अपराध को रोकने के लिए, निवासी कल्याण संघों, व्यापारी संघों से अनुरोध है कि वे उन्हें रखते समय उन्हें सत्यापित करवा लें। दिल्ली पुलिस द्वारा घरेलू नौकर सत्यापन अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं। डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन फॉर्म वेबसाइट <https://delhipolice.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

**इ. किरायेदार सत्यापन** : दिल्ली में किराएदार के रूप में शरण लेने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस नियमित किरायेदार सत्यापन करती है। जब भी मकान मालिक किराएदार रखते हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। किरायेदार सत्यापन प्रपत्र वेबसाइट: <https://delhipolice.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

**7. बेहतर सेवा वितरण के लिए वेब और मोबाइल एप्लिकेशन**  
नागरिकों के लिए जीवन को सरल बनाने और प्रौद्योगिकी की मदद से शिकायतों के आसान प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए टो-रिपोर्टिंग को सफलतापूर्वक बदल दिया है। कुछ ई-एप्लिकेशन जैसे लॉस्ट रिपोर्ट ऐप (खोई हुई किसी वस्तु के लिए)। हिम्मत ऐप (महिला सुरक्षा के लिए), मोटर वाहन चोरी - मोबाइल और वेब ऐप (वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए), ट्रैफिक मोबाइल ऐप (यातायात संबंधी जानकारी के लिए), पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऐप (पीसीसी)

और चरित्र सत्यापन रिपोर्ट ऐप (सीवीआर) पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं और अन्य प्रक्रिया में हैं।

### 8. भ्रष्टाचार से लड़ने का हमारा संकल्प

दिल्ली पुलिस अपनी सेवाओं के निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त वितरण पर प्रमुख जोर देती है। सतर्कता शाखा (दूरभाष संख्या 1064) (ई-मेल: dcp-vigilance-dl@nic.in) भ्रष्टाचार, लापरवाही और कदाचार के कृत्यों में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों को संभालती है। दिल्ली पुलिस ने, पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9910641064 भी उपलब्ध कराया है। शिकायतकर्ता इस व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या वीडियो क्लिप भेज सकते हैं।

### 9. हमारी सामुदायिक पहुंच

(i) नेबरहुड वॉच स्कीम (ii) आप का अपडेट (iii) युवा (iv) घरेलू मदद / किरायेदार सत्यापन (v) आंखें और कान योजना (vi) पहचान (vii) जनसंपर्क (viii) पुलिस मित्र स्वयंसेवक कार्यक्रम आदि जैसी कई सामुदायिक पुलिस पहल की हैं

### 10. सामान्य निर्देश

यदि कोई आम जनता द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं हैं, तो उन्हें संबंधित इकाई के पर्यवेक्षण अधिकारियों या सतर्कता शाखा के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। सेवा वितरण प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण टेलीफोन, हेल्पलाइन आदि का विवरण अनुलग्नक-"ए" पर है।

### 11. हमारी अपील

"हर नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है"। आपके निरंतर सहयोग से ही दिल्ली पुलिस अपनी सेवाओं में सुधार कर सकेगी। कृपया अनुलग्नक-"बी" में हमारे कुछ अनुरोधों का पालन करके आपको बेहतर सेवा प्रदान करने में हमारी सहायता करें।

## अनुलग्नक-'ए'

### महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर और हेल्पलाइन

पहुंच	इकाई	लिंक
	पुलिस स्टेशन	स्वागत/जन सुविधा डेस्क व महिला सहायता डेस्क पोस्ट बॉक्स 171 जीपीओ
	वरिष्ठ अधिकारी	जिला उपायुक्त पुलिस कार्यालय
	सतर्कता	एकल खिड़की शिकायत पूछताछ प्रकोष्ठ/ पु. मु.
	यातायात	ट्रैफिक वेबसाइट पर उल्लिखित एलटीवी, एचटीवी आदि के लिए पीक आवर्स के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालयों में जुर्माना जमा करना और आवेदन करना,

हेल्पलाइन/टेलीफोन नंबर	पीसीआर	112
	आंख व कान	1090
	महिला सुरक्षा	1091 & 1096
	वरिष्ठ नागरिक सहायता	1291
	टूरिस्ट पुलिस	8750871111
	उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए सहायता	1093
	भ्रष्टाचार निरोधक	1064 & 9910641064
	ट्रैफिक हेल्पलाइन	1095 & 25844444
	सतर्कता	1064 & 9910641064
	गुमशुदा सहायता	1094 & 23241210
	मेट्रो हेल्पलाइन	1511
	रेलवे हेल्पलाइन	1512
ऑनलाइन पहुंच	<a href="https://delhipolice.gov.in">https://delhipolice.gov.in</a>	खोने की रिपोर्ट दर्ज करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऐप, वाहन चोरी, चोरी की इ-एफआईआर, पीसीसी, सीवीआर, एफआईआर की कॉपी और फोन नंबर
	दिल्ली पुलिस वन टच एप्लीकेशन	दिल्ली पुलिस कांटेक्ट नंबर, यातायात प्रहरी, दिल्ली पुलिस वेबसाइट, ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट, लाइसेंसिंग वेबसाइट, एसपीयूडब्ल्यूएसी वेबसाइट, पीसीसी ऐप सीवीआर ऐप, लॉस्ट रिपोर्ट, ट्रैफिक ऐप, हिम्मत ऐप, हेल्पलाइन नंबर, वाहन चोरी व अन्य चोरी इ-एफआईआर
	वरिष्ठ नागरिक सहायता	दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिक ऐप, (ई-मेल आईडी <a href="mailto:inspr-scscphqdl@delhipolice.gov.in">inspr-scscphqdl@delhipolice.gov.in</a> )
	बाल अपराध मुद्दे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट	<a href="http://www.ddju.in">www.ddju.in</a> <a href="https://delhipolice.gov.in">https://delhipolice.gov.in</a>
	दुर्घटना(दावा)	<a href="https://mact.delhipolice.gov.in/">https://mact.delhipolice.gov.in/</a>
	गुमशुदा लोग, अज्ञात शव, वाहन चोरी व मोबाइल चोरी/ खोना	<a href="https://zipnet.delhipolice.gov.in/">https://zipnet.delhipolice.gov.in/</a>
	सतर्कता	ई-मेल आईडी <a href="mailto:dcp-vigilance-@nic.in">dcp-vigilance-@nic.in</a>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नामित सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के प्रथम अपीलीय अधिकारियों की एक सूची भी सभी जिला पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध है।

अनुलग्नक - "बी"

**हमारा जनता से अनुरोध**

क्षेत्र में बिना किसी नियमित साधन या आजीविका के रहने वाले और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने वाले या किसी भी प्रकार की धिनौनी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित करें जो जिससे इलाके की सुरक्षा प्रभावित होती हो।

चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा सुझाए गए विभिन्न गृह सुरक्षा और वाहन सुरक्षा उपायों को अपनाएं।

घर की सुरक्षा के लिए, मैजिक आई, डोर चेन और ऑटो लॉक के साथ मजबूत दरवाजे लगाएं, और किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलने से पहले मैजिक आई के माध्यम से देखें।

सत्यापन के लिए आपकी घरेलू मदद का विवरण पुलिस को भेजा जाना चाहिए।

केवल उन्हीं प्लंबर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/मजदूरों की सेवाएं लें जिन्हें आरडब्ल्यू द्वारा जाना या अनुशंसित किया गया हो।

अपने वाहन की चोरी को रोकने के लिए डोर लॉक, स्टीयरिंग व्हील लॉक और चेन के साथ पैडलॉक, मोटरसाइकिल व्हील लॉक आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें।

यदि आप एक मकान मालिक या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो किरायेदार के चरित्र के बारे में जाने बिना अपना परिसर किराए पर न दें।

यदि आप एक गेस्ट हाउस, लॉज या होटल के मालिक हैं, तो अतिथि के लिए कमरा बुक करने से पहले पहचान दस्तावेजों पर जोर दें।

अपनी गाड़ी कमाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कभी भी अकेले, पैदल या दुपहिया वाहन में भारी मात्रा में नकदी न रखें, और नकदी सहित, परिवहन, आवाजाही आदि के बारे में जानकारी गोपनीय रखें।

चेक/क्रेडिट कार्ड/इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन भारी नकदी साथ रखने की तुलना में बेहतर विकल्प हैं।

साइबर ठगी का शिकार न बनें। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए:-

- अल्फ़ान्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करके एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और इसे किसी के साथ साझा न करें। पासवर्ड नियमित रूप से बदलें।



- इंटरनेट पर खोज के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव की प्रामाणिकता की जांच करें और पहले इसे संबंधित कंपनी/संस्थान से सत्यापित करें।

ईनाम, लॉटरी आदि जीतने के दावों वाले स्पैम मेल या ई-मेल का जवाब न दें।

- देखें कि आपका क्रेडिट कार्ड आपकी आंखों के सामने इस्तेमाल हो रहा है। अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की नियमित जांच करें। अपने बैंक से अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए किसी भी लेन-देन पर मोबाइल अलर्ट देने के लिए कहें।

यातायात नियमों का पालन करें और यातायात उल्लंघन पर साथी मोटर चालकों के साथ टकराव से बचें।

अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी कार शुरू करने से पहले सीट बेल्ट पहनें और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।

अपने वाहन को अधिकृत पार्किंग स्थल और साइटों पर ही पार्क करें।

सड़क पर पीड़ितों की मदद करने में संकोच न करें। अब दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए पुलिस के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकरों, प्रवर्धित संगीत, पटाखे फोड़ने और ढोल पीटने आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका कारण बनता है: -  
बीमारों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा।

- छात्रों के लिए व्याकुलता।
- बच्चों/दुर्बल के लिए तनाव।

किसी भी संदिग्ध वस्तु को छुएं या उठाएं नहीं, 100 डायल कर पुलिस को सूचित करें। स्थानीय पुलिस को अपराध की रोकथाम और पता लगाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव तरीके से सहयोग करें।

याद रखें: आप हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। आपको बेहतर सेवाएं देने में हमारी मदद करें।